



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 28 जून, 2016 / 7 आषाढ़ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून, 2016

संख्या: रैव डी (जी) 6-12/2016.—हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2015 के प्रारूप को, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव डी (जी) 6-69/2011-II तारीख 23-01-2016 द्वारा, हिमाचल प्रदेश-भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिल भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक

18) की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जन साधारण से अक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए तारीख 23-01-2016 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश-भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव डी (जी) 6-69/2011-पार्ट-III तारीख 4-3-2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 5-3-2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के खण्ड (iii) "युद्ध विधवाओं" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "स्वतन्त्रता सेनानी और उनके प्रतिपाल्य" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 7 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 7 में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि व्यपवर्तित वन भूमि की दशा में पट्टा, इन नियमों से संलग्न प्ररूप "ग" और "घ" के अनुसार अनिवार्यता प्रमाण-पत्र, अनापति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार द्वारा मन्जूर किया जा सकेगा और केन्द्रीय या राज्य वन विभाग द्वारा मन्जूर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनुमोदन, केवल सम्बद्ध उपायुक्त-एवं-कलक्टर द्वारा, किन्हीं अन्य औपचारिकताओं का पालन किए बिना, पट्टा भाटक/रकम की संगणना और निर्धारण के पश्चात् ही किया जाएगा।"

4. नियम 8 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 8 में,—

(क) खण्ड (i) के परन्तुक में, "जल विद्युत परियोजनाओं (एच ई पीज)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्" और सौर उर्जा परियोजनाएं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (i) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु जल विद्युत परियोजनाओं (एच.ई.पी.एस), सौर उर्जा परियोजनाओं और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, जिनके लिए सरकारी वन भूमि राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यपवर्तित की गई है, तो पट्टा भाटक/रकम प्रतिवर्ष एक रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से प्रभारित की जाएगी और अन्य सरकारी भूमि (गैर-वन भूमि) के लिए पट्टा भाटक/रकम चालू वृत्त दर की विद्यमान दस प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि विद्युत और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की बाबत, जहां व्यपवर्तित सरकारी वन भूमि का पट्टा 31-12-2015 से पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार विद्यमान दरों पर वार्षिक पट्टा भाटक आधार पर मन्जूर या प्रदान किया गया है, तो पट्टा भाटक/रकम, 01-01-2016 के पश्चात बिना किसी और छूट के एकरूप दर पर प्रतिवर्ष एक रूपए प्रति वर्गमीटर की पुरीक्षित पट्टा दर पर प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि पहले से ही निष्पादित या क्रियान्वित परियोजनाओं या जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद और हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित की विद्युत परियोजनाओं सहित राज्य या केन्द्रीय सरकार के विभागों से शतप्रतिशत निधीयन के अधीन राज्य में निष्पादित की जानी हैं; के लिए सरकारी या व्यपवर्तित वन भूमि, ऐसी परियोजनाओं को सम्पूर्ण पट्टा अवधि के लिए प्रतिमास एक रूपए प्रति बीघा के नाममात्र पट्टा भाटक पर पट्टे पर उपलब्ध करवाई जाएगी। “; और

(ग) खण्ड (iii) के उप-खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु प्रवर्ग (क) से (ग) के लिए रियायती पट्टा भाटक/रकम नाममात्र पट्टा भाटक के रूप में प्रतिमास एक रूपए की दर से प्रभारित किया जाएगा/की जाएगी और प्रवर्ग (घ) के लिए पट्टांतरित भूमि की चालू वृत्त दरों के बीस प्रतिशत की दर से एक मुश्त तथा उस अवधि, जिसके लिए भूमि का पट्टा मन्जूर किया गया है, के लिए एक रूपया प्रतिमास नाममात्र पट्टा राशि प्रभारित की जाएगी। “।

5. नए नियम 18-क का अन्तःस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“ 18-क शास्ति:— पट्टेदार, नियत अवधि के भीतर पट्टा विलेख के अनिष्पादन या पट्टा रकम के असंदाय या पट्टे के अनवीकरण के लिए और पट्टा विलेख के निबधनों और शर्तों के अननुपालन अथवा हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में भी विद्यमान पट्टा भाटक/रकम का दस प्रतिशत की दर से शास्ति के रूप में अतिरिक्त रकम संदत्त करने के लिए दायी होगा। “।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D (G) 6-12/2016 dated 27-06 2016 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla- 171002, the 27th June, 2016

No. Rev-D (G) 6-12/2016.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2015 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 23-01-2016 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this Department Notification No. Rev-D (G) 6-69/2011-II dated 23-01-2016 as required under section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973);

AND WHEREAS, the objection (s) or suggestions (s) so received in this behalf, have been duly considered ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013, notified vide this Department Notification No. Rev-D (G) 6-69/2011-Part-III dated 4-3-2014 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 05-03-2014, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in clause (iii), after the words and sign "war widows", the words and sign "freedom fighters and their wards", shall be inserted.

3. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rules, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the lease in case of diverted forest land may be sanctioned by the Government, on the basis of Essentiality Certificate, No Objection Certificate as per Forms "C" and "D" appended to these rules and approval for diversion of forest land granted by the Central or State Forest Departments, only after calculation and assessment of lease rent/amount by the concerned Deputy Commissioner-cum-Collector, without observing any other codal formalities."

4. Amendment of rule 8.— In rule 8 of the said rules,—

(a) In clause (i), in the proviso, after the words, brackets and letters "Hydro Electric Projects (HEPs)", the words "and Solar Power Projects" shall be inserted.;

(b) In clause (i), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that for the Hydro Electric Projects (HEPs), Solar Power Projects and other infrastructure projects for which Government forest land has been diverted by the State or Central Government, the lease rent/ amount shall be charged @ Re. 1 per Sqmt., Per annum and for other Government land (non-forest land), the lease rent/amount shall be charged at the existing rate of 10% of the current circle rate:

Provided further that in respect of power and other infrastructure projects, where the lease of diverted Government forest land has been sanctioned or granted on annual lease rent basis on the existing rates as per prevailing rules prior to 31-12-2015, the lease rent/amount shall be charged on the revised lease rate of Re. 1/- per sqmt., per annum after 01-01-2016 on uniform rates without any further concessions:

Provided further that the projects already executed or implemented or which are to be executed in the State under 100% funding from the State or Central Government Departments including the power projects of Himachal Pradesh State Electricity Board and Himachal Pradesh Power Corporation Limited, the Government or diverted forest land on lease shall be provided to such projects on token lease rent of Re. 1/- per bigha per month for entire lease period."; and

(c) in clause (iii), after sub-clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the concessional lease rent/amount for categories (a) to (c) shall be charged @ Re 1/- per month as token lease rent and for category (d) shall be charged @ 20% of the current circle rates of the demised land in lumpsum and Re. 1/- per month as token lease money for the period for which the land is granted on lease."

5. Insertion of new rule 18 A.—After rule 18 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely:—

"18-A Penalty.- The lessee shall be liable to pay additional amount as penalty for non execution of lease deed or non-payment of lease amount or nonrenewal of lease within the stipulated period @ 10% of the existing lease rent/ amount and also in the event of non-compliance of the terms and conditions of lease deed or contravention of the provisions of Himachal Pradesh Lease Rules, 2013".

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Revenue).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 24th June, 2016

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.-III.—Whereas, the following Advocates of Districts Mandi, Kangra, Kullu, Solan and Una, H.P. have applied for appointment of Public Notary in the places mentioned against their names of their respective Districts under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sr. No.	Name of Advocate	Area for which they have applied for appointment of Notary
1.	Sh. Pawan Kumar, S/o Sh. Puran Ram, VPO Chambi, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.	Sub-Division Sundernagar
2.	Sh. Amarjeet Singh Pasreecha, S/o Late Sh. Balbir Singh Pasreecha, VPO Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.	Sub-Division Gohar
3.	Sh. Arun Jarial, Sh. Gian Chand, Vill. Dak, P.O. Dahab, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P.	Sub-Division Nurpur
4.	Sh. Rajeev Sharma, S/o Sh. S.D. Sharma, H.No. 89, Ward No.5, Sarwari Bazar, P.O. Dhalpur, District Kullu, H.P.	Sub-Division Kullu
5.	Sh. Uttam Chand Chauhan, S/o Sh. Tek Chand	Sub-Division Karsog

Chauhan, VPO Bhanthal, Tehsil Karsog, District
Mandi, H.P.

6. Sh. Sanjeev Kumar, S/o Sh. Puran Singh, Village Rabon, PO Saproon, Tehsil & District Solan, H.P. Sub-Division Solan
7. Sh. Randeep Thakur, S/o Sh. Moola Singh, VPO Dulehar, Tehsil Haroli, District Una, H.P. Sub-Division Haroli

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR A (2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as Notary Public in the places mentioned against their names of their respective Districts.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation)
to the Government of Himachal Pradesh

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 14 जून, 2016

संख्या: टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ0(5) 7/2005, तारीख 4-3-2014 द्वारा गठित घुमारवीं योजना क्षेत्र तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर से निम्नलिखित राजस्व मोहालों को अपवर्जित करते हैं, अर्थात:—

क्रम संख्या	राजस्व मोहाल का नाम	हदबस्त संख्या	अधिसूचित घुमारवीं योजना क्षेत्र से अपवर्जित मोहालों का ब्यौरा		अपवर्जित क्षेत्र हैक्टियर में	सम्पूर्ण मोहाल की अपवर्जित जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	अधिसूचित घुमारवीं योजना क्षेत्र से अपवर्जित क्षेत्र
			सम्पूर्ण	भागत:			
1.	घुमाणी	470	—	भागत:	2949.26	4808	राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी0 की पट्टिका से परे।
2.	पेहड़वीं	469	—	भागत:			
3.	अवारी खलीण	468	—	भागत:			
4.	मझासु	461	—	भागत:			
5.	मझौण	462	—	भागत:			
6.	बागटेहडु	463	—	भागत:			
7.	भगेड	465	—	भागत:			
8.	खुराड़ी	466	—	भागत:			

							150 मी० की पट्टिका से परे ।
9.	बकरोआ	464	—	भागतः			फोरलेन व भगेड़-ओहर सड़क की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे ।
10	बल्लू	449	—	भागतः			राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
11	खरयाला	450	—	भागतः			
12	कुलाहरू	451	—	भागतः			
13	अबदाणी	452	—	भागतः			
14	छिबरी	448	पूर्णतया	—			सम्पूर्ण अपवर्जित
15	टकरेहड़ा	444	पूर्णतया	—			
16	तराँतड़ा	443	पूर्णतया	—			
17	पनौल	456	—	भागतः			नगर परिषद की सीमा से परे ।
18	चुवाड़ी	455	पूर्णतया				सम्पूर्ण अपवर्जित
19	दकड़ी	454	—	भागतः			नगर परिषद की सीमा से परे ।
20	बरोटा	441	—	भागतः			
21	बडू	407	—	भागतः			नगर परिषद की सीमा से और घुमारवीं-बरठी सड़क की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
22	करंगोड़ा	406	—	भागतः			घुमारवीं - बरठी सड़क की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
23	बाड़ी	405	—	भागतः			
24	मझेड़वां गुद्याण	404	—	भागतः			
25	बलोह	403	पूर्णतया	—			सम्पूर्ण अपवर्जित
26	सोहल	396	पूर्णतया	—			
27	रूढानी	395	पूर्णतया	—			
28	लुहारवीं	440	—	भागतः			नगर परिषद की सीमा और घुमारवीं -सरकाघाट राज्य उच्च मार्ग संख्या-19 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
29	बलौर	439	—	भागतः			
30	सिल्ह	433	—	भागतः			
31	मतवाणा	438	पूर्णतया	—			सम्पूर्ण अपवर्जित
32	सोई	435	पूर्णतया	—			
33	मरहोल	411	पूर्णतया	—			
34	गैहरा	434	पूर्णतया	—			
35	कोठी	424	—	भागतः			घुमारवीं - सरकाघाट राज्य उच्च मार्ग संख्या-19 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से

							दोनों तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
36	पलसोटी	423	पूर्णतया	—			सम्पूर्ण अपवर्जित
37	रौं	421	पूर्णतया	—			
38	पट्टा	410	—	भागतः			नगर परिषद की सीमा के बाद और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनों तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
39	कलरी	394	—	भागतः			राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनों तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
40	भदरोग	383	—	भागतः			
41	नसवाल	384	—	भागतः			
42	सेऊ	385	—	भागतः			
43	जंगल छंजयार	252/1	—	भागतः			
44	कसारू	389	पूर्णतया	—			सम्पूर्ण अपवर्जित
45	बबेली	387	पूर्णतया	—			
46	कलोह	386	पूर्णतया	—			
47	दधोल खुर्द	266	—	भागतः			राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनों तरफ 150 मी० की पट्टिका से परे।
48	दधोल कलां	265	—	भागतः			
49	पड़यालग	267	—	भागतः			
50	पन्जैला	258	—	भागतः			
51	बाडी खुर्द	268	—	भागतः			
52	बाडी कलां	269	—	भागतः			
53	छजोली	271	—	भागतः			
54	डंगार	256	—	भागतः			
55	दखयूत ऊपरला	254	—	भागतः			
56	हरितल्यांगर	273	—	भागतः			
57	तड़ौन	274	—	भागतः			
	कुल	57	16	41	2949.26	4808 व्यक्ति	

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इसके अतिरिक्त घुमारवीं योजना क्षेत्र में तीन राजस्व मुहालों (भागतः) को निम्नलिखित रूप में सम्मिलित करते हैं:-

क्र० सं०	राजस्व मोहाल	हदबस्त नं०	सम्मिलित क्षेत्र		सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सम्पूर्ण मोहाल की जनसंख्या (2011की जनगणना के अनुसार)	घुमारवीं योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र
			पूर्णतया	भागतः			
1.	चैहड़ी	393	—	भागतः	0.26	182	राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनों तरफ 150 मी० तक की पट्टिका।
2.	जाहड़ी	391	—	भागतः	0.51	145	
3.	लैहड़ी सरैल	272	—	भागतः	3.87	2639	
	कुल	3	—	3	4.64	2966	

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अधिसूचित घुमारवीं योजना क्षेत्र से उपरोक्त सोलह पूर्ण और इक्तालीस भागत: राजस्व मोहालों के अपवर्जन के फलस्वरूप अधिसूचित घुमारवीं योजना क्षेत्र की सीमा को परिवर्तित करके और तीन राजस्व मोहालों अर्थात्:-चैहड़ी/393,जाहड़ी/391, लैहड़ी सरेल/272, क्षेत्र को भागत: सम्मिलित करके घुमारवीं योजना क्षेत्र की सीमाओं को निम्नलिखित रूप में पुनः परिभाषित करते हैं ।

क्र० सं०	राजस्व मोहाल का नाम	हदबस्त संख्या	पुनरीक्षित घुमारवीं योजना क्षेत्र में सम्मिलित मोहालो का ब्यौरा		क्षेत्र हैक्टेयर में	सम्पूर्ण मोहाल की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	पुनरीक्षित घुमारवीं योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र
			पूर्णतया	भागत:			
1.	बडू	407	—	भागत:	610.00	7899	नगर परिषद घुमारवीं
2.	रटैहल	408	पूर्णतया	—			
3.	पट्टा	410	—	भागत:			
4.	सिल्ह	433	—	भागत:			
5.	घुमारवीं	436	पूर्णतया	—			
6.	कल्याणा	437	पूर्णतया				
7.	लुहारवीं	440	—	भागत:			
8.	बरोटा	441	—	भागत:			
9.	टिकरी	453	पूर्णतया	—			
10.	दकड़ी	454	—	भागत:			
11.	पनौल	456	—	भागत:			
12.	सासन	409	पूर्णतया	—	5.41	35	सम्पूर्ण
13.	जंगल छंजयार	252/1	—	भागत:	996.76		कन्दरौर पुल/ तहसील सीमा / मोहाल घुमानी से मोहाल तरौण/जिला सीमा /शुकर खडड से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहीत चौड़ाई रेखा से दोनो तरफ 150 मी0 तक ।
14.	दखयूत ऊपरला	254	—	भागत:		182	
15.	डंगार	256	—	भागत:		1290	
16.	पन्जैला	258	—	भागत:		17	
17.	दधोल कलां	265	—	भागत:		956	
18.	दधोल खुर्द	266	—	भागत:		454	
19.	पड़यालग	267	—	भागत:		631	
20.	बाड़ी खुर्द	268	—	भागत:		92	
21.	बाड़ी कलां	269	—	भागत:		277	
22.	छजोली	271	—	भागत:		429	
23.	लैहड़ी सरेल	272	—	भागत:		2639	
24.	हरितल्यांगर	273	—	भागत:		947	
25.	तड़ौन	274	—	भागत:		1329	
26.	भदरोग	383	—	भागत:		878	
27.	नसवाल	384	—	भागत:		802	
28.	सेऊ	385	—	भागत:		698	
29.	जाहड़ी	391	—	भागत:		145	
30.	चैहड़ी	393	—	भागत:		182	
31.	कलरी	394	—	भागत:		220	
32.	गुद्याण	404	—	भागत:		14	
33.	बाड़ी मझेडवां	405	—	भागत:		1365	
34.	करंगोड़ा	406	—	भागत:		335	
35.	कोठी	424	—	भागत:		1560	
36.	बलौर	439	—	भागत:		206	
37.	बल्लू खरयाला	449	—	भागत:		727	
38.	कुलाहरू	450	—	भागत:		317	
39.	अबढ़ाणी	451	—	भागत:		262	

40.	क्यारी	452	—	भागत:	230	
41.	मझासु	461	—	भागत:	210	
42.	मझौण	462	—	भागत:	196	
43.	बागटेहडु	463	—	भागत:	286	
44.	बकरोआ	464	—	भागत:	447	
45.	भगेड	465	—	भागत:	294	
46.	खुराड़ी	466	—	भागत:	159	
47.	अवारी खलीण	468	—	भागत:	300	
48.	पेहडवीं	469	—	भागत:	453	
49.	घुमाणी	470	—	भागत:	334	
	कुल 49 मोहाल		5	44	1612.17	27797

विनिर्देश

उत्तर: राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 की अधिगृहीत चौड़ाई से दोनो तरफ 150 मी० की दूरी तक मोहाल तड़ौन/हदबस्त नं० 274/तहसील घुमारवीं/जिला सीमा द्वारा सीमाबद्ध ।

पूर्व: जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं के मुहाल तड़ौन/ हदबस्त नं० 274 की उत्तरी सीमा के अंत से शुरू होकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 की अधिगृहीत चौड़ाई से सड़क के साथ 150 मीटर रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल रटैहल/हदबस्त नं० 408 की बाहरी सीमा तक और उसके बाद नगर परिषद घुमारवीं की बाहरी सीमा का अनुसरण करते हुए मुहाल लुहारवीं हदबस्त नं० 440 तक तथा घुमारवीं-सरकाघाट राज्य उच्च मार्ग-19 के साथ दोनों तरफ 150 मी०रेखा तक, नगर परिषद घुमारवीं का क्षेत्र सम्मिलित करते हुए मुहाल कोठी/हदबस्त नं० 424 की बाहरी सीमा तक, उसके बाद नगर परिषद घुमारवीं की बाहरी सीमा का अनुसरण करते हुए मुहाल पनौल/ हदबस्त नं० 456 की बाहरी सीमा तक और तब राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 के साथ 150 मीटर रेखा का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 और फोरलेन के जंक्शन तक और उसके बाद फोरलेन के दोनों तरफ सड़क से 150 मीटर रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल खुराड़ी/हदबस्त नं० 466 की बाहरी सीमा तक और उसके बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 के साथ 150 मीटर रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल बागटेहडु/हदबस्त नं० 463 से मुहाल घुमाणी/हदबस्त नं० 470 की बाहरी सीमा तक ।

दक्षिण: जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं के मुहाल घुमाण हद स्त नं० 470 / कन्दरौर पुल की पूर्वी सीमा के अंत से शुरू होकर पश्चिम की तरफ और उसके बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103, फोरलेन सड़क व भगेड-औहर मार्ग के साथ 150 मी० की रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल बकरोआ/हदबस्त नं० 464 की बाहरी पश्चिमी सीमा तक ।

पश्चिम: जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं के मुहाल बकरोआ/हदबस्त नं० 464 की दक्षिणी सीमा के अंत से शुरू होकर पश्चिम की तरफ और भगेड-औहर सड़क के साथ 150 मीटर की रेखा का अनुसरण करते हुए मोहाल भगेड/हदबस्त नं० 465 में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 के जंक्शन के दोनों ओर तत्पश्चात् राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 के साथ 150 मीटर की रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल अवधानी/ हदबस्त नं० 451 की बाहरी सीमा तक और उसके बाद नगर परिषद घुमारवीं की सीमा का अनुसरण करते हुए मुहाल बडू/हदबस्त नं० 407 तक और उसके बाद घुमारवीं- बरठी सड़क के साथ दोनो तरफ 150 मी० की रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल बडू/हदबस्त नं० 407 तक और मुहाल रटेल/हदबस्त संख्या 408 की नगर परिषद की सीमा का अनुसरण करते हुए तथा मोहाल साषन/हदबस्त नं० 409 की बाहरी सीमा, मुहाल पटटा/ हदबस्त नं० 410 में नगर परिषद घुमारवीं की सीमा का अनुसरण करते हुए और उसके बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 के साथ 150 मी० की रेखा का अनुसरण करते हुए मुहाल तरौण/ हदबस्त नं० 274 की बाहरी उत्तरी सीमा तक ।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) ।

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 2016

संख्या: टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 14.6.2016 को ऐसा दिन नियत करते हैं जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे:—

क्रम संख्या	राजस्व मोहाल	हदबस्त संख्या	सम्मिलित क्षेत्र		सम्मिलित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सम्पूर्ण मोहाल की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	घुमारवीं योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र
			पूर्णतया	भागतः			
1.	चैहड़ी	393	—	भागतः	0.26	182	राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 की अधिगृहित चौड़ाई रेखा से दोनों तरफ 150 मी० की पट्टिका तक का क्षेत्र ।
2.	जाहड़ी	391	—	भागतः	0.51	145	
3.	लैहड़ी सरेल	272	—	भागतः	3.87	2639	
	कुल	3	—	3	4.64	2966	

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) ।

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 2016

संख्या:टी.सी.पी.—एफ(5)—7/2005.—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा-13 की उपधारा (1) के अधीन, सरकार की अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-एफ0 (5)-7/2005, तारीख 4-3-2014 द्वारा घुमारवीं योजना क्षेत्र का गठन कर लिया गया है तथा उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार की अधिसूचना संख्या: टी.सी.पी.—एफ (5) -7/2005 तारीख 4-3-2014 द्वारा बन्द कर किया गया है ।

अतः घुमारवीं योजना क्षेत्र को धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन, सोलह (16) सम्पूर्ण और इक्तालीस (41) भागतः राजस्व मुहालों को अपवर्जित करके और तीन राजस्व मुहालों अर्थात् चैहड़ी/393, जाहड़ी/391, और लैहड़ी सरेल/272 को सम्मिलित करके तथा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के अधीन, सरकार की अधिसूचना संख्या: टी. सी.पी.—एफ (5) -7/2005 तारीख 14.6.2016 द्वारा अधिसूचित योजना क्षेत्र की सीमा को परिवर्तित करके, पुनर्गठित किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या उसपर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है, और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तीन नए राजस्व मुहालों अर्थात् मोहाल चैहड़ी/393, मोहाल जाहड़ी/391, और मोहाल लैहड़ी सरैल/272, को सम्मिलित कर पुनर्गठित घुमारवीं योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग को, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बन्द करते हैं।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
अति० मुख्य सचिव (टी.सी.पी.)।

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. CPF(5)-7/2005 DATED 14.6.2016 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2016

No. TCP-F(5)-7/2005.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exclude the following Revenue Mohals from the **Ghumarwin Planning Area** constituted vide Notification No. TCP-F(5)-7/2005 dated. Shimla- 4-3-2014 of Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, namely:—

Sr. No	Name of Revenue Mohal	Hadbast No.	Detail of Mohals excluded from notified Ghumarwin planning Area		Excluded Area in Hectare	Excluded Population (2011) of Complete Mohal	Area excluded from notified Ghumarwin Planning Area
			Complete	Partly			
1.	Ghumani	470	-	Partly	2949.26	4808	Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width line of N.H.-103.
2.	Peherwin	469	-	Partly			
3.	Awarikhalin	468	-	Partly			
4.	Majhasu	461	-	Partly			
5.	Majhaon	462	-	Partly			
6.	Baagtheru	463	-	Partly	2949.26	4808	Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width
7.	Bhager	465	-	Partly			
8.	Khurari	466	-	Partly			

						line of N.H.-103 and four lane.
9.	Bakroa	464	-	Partly		Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width line of four lane and Bhager-Auhar Road.
10.	Balhu-	449	-	Partly		Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width line of N.H.-103
11.	Kharyala	450	-	Partly		
12.	Kulahru	451	-	Partly		
13.	Awdhani Kyari	452	-	Partly		
14.	Chhibrin	448	Complete	-		Completely excluded
15.	Takrehra	444	Complete	-		
16.	Trontra	443	Complete	-		
17.	Panol	456	-	Partly		Beyond M.C. limit.
18.	Chuwari	455	Complete			Completely excluded
19.	Dakri	454	-	Partly		Beyond M.C. limit.
20.	Barota	441	-	Partly		
21.	Baddu	407	-	Partly		Beyond M.C. limit and 150 m belt on both sides from the acquired width line of Ghumarwin-Berthi Road.
22.	Karngora	406	-	Partly		Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width line of Ghumarwin Berthi Road.
23.	Bari-	405	-	Partly		
24.	Majherwan Godhan	404	-	Partly		
25.	Baloh	403	Complete	-		Completely excluded
26.	Sohal	396	Complete	-		

27.	Rudhani	395	Complete	-			
28.	Loharwin	440	-	Partly			Beyond M.C. limit and 150 m belt on both sides from the acquired width line of Ghumarwin-Sarkaghat State Highway No-19.
29.	Balaur	439	-	Partly			
30.	Silh	433	-	Partly			
31.	Matwana	438	Complete	-			Completely excluded
32.	Soi	435	Complete	-			
33.	Marhol	411	Complete	-			
34.	Gehra	434	Complete	-			
35	Kothi	424	-	Partly			Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width line of Ghumarwin-Sarkaghat State Highway No-19.
36.	Palsoti	423	Complete	-			Completely excluded
37.	Ro	421	Complete	-			
38.	Patta	410	-	Partly			Beyond M.C. limit and 150 m belt on both sides from the acquired width line of N.H.-103.
39.	Kalri	394	-	Partly			Beyond 150 m belt on both sides from the acquired width line of N.H. 103.
40.	Bhadrog	383	-	Partly			
41.	Naswal	384	-	Partly			
42.	Seu	385	-	Partly			
43.	Jungle Chhanjyar	252/1	-	Partly			
44.	Ksaru	389	Complete	-			Completely excluded
45.	Babeli	387	Complete	-			
46.	Kaloh	386	Complete	-			
47.	Dadhol-Khurd	266	-	Partly			Beyond 150 m belt on both
		265	-	Partly			

48.	Dadhol-Kalan	267	-	Partly			sides from the acquired width line of N.H. 103.
49.	Padyalg	258	-	Partly			
50.	Pangela	268	-	Partly			
51.	Bari- Khurd	269	-	Partly			
52.	Bari- Kalan	271	-	Partly			
53.	Chhajoli	256	-	Partly			
54.	Dangar	254	-	Partly			
55.	Dakhut-Uperla	273	-	Partly			
56.	Haritilainger	274	-	Partly			
57	Taraun						
	Total . .	57	16	41	2949.26	4808 person	

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to include **3 Revenue Mohals Partly**) in Ghumarwin Planning Area as under:--

Sr. No	Revenue Mohal	Hadbast No.	Area included		Area included (in hectare)	Population (2011) of Complete Mohal	Area included in Ghumarwin Planning Area
			Complete	Partly			
1.	Cheri	393	-	Partly	0.26	182	Up to 150 m belt on one side from acquired width line of N.H.-103.
2.	Jahri	391	-	Partly	0.51	145	
3.	Lehri Sarail	272	-	Partly	3.87	2639	
	Total . .	3	-	3	4.64	2966	

Consequent upon the exclusion of above sixteen Complete and forty one Partly Revenue Mohals from Notified Ghumarwin Planning Area, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to redefine the limits of Ghumarwin Planning Area by altering the notified Ghumarwin Planning Area boundary and inclusion of partly three revenue mohals i.e. Cheri/393, Jahri/391and Lehri Sarail/272 area as under:--

Sr. No	Name of Revenue Mohal	Hadbast No.	Detail of Mohals included in Revised Ghumarwin planning Area		Area in Hectare	Population (2011) of complete Mohal	Area included in Revised Ghumarwin Planning Area
			Complete	Partly			
1.	Baddu	407		Partly	610.00	7899	• Municipal Council, Ghumarwin
2.	Ratehal	408	Complete	-			
3.	Patta	410	-	Partly			
4.	Silh	433	-	Partly			

5.	Ghumarwin	436	Complete	-			
6.	Kalyana	437	Complete	-			
7.	Loharwin	440	-	Partly			
8.	Barota	441	-	Partly			
9.	Tikri	453	Complete	-			
10.	Dakri	454	-	Partly			
11.	Panol	456	-	Partly			
12.	Sashan	409	Complete	-	5.41	35	complete
13.	Jungle- Chhanjyar	252/1	-	Partly	996.76	-	<ul style="list-style-type: none"> Upto 150 m on both sides from acquired width line of National Highway No. 103 from Kandrour bridge/ Tehsil boundary/ Mohal Ghumani to Mohal Taraun/Distt. boundary /Sukar khad. Upto 150 m on both sides from acquired width line of Ghumarwin-Sarkaghat State Highway No.-19 upto the outer limit of Mohal Kothi. Upto 150 m on both sides from acquired width line of Ghumarwin-Berthi Road upto outer boundary of Mohal Bari-Majherwan. Upto 150 m on both sides from acquired width line of four lane and Bhager-Auhar Road in Mohal Bakroa,
14.	DakhutUperla	254	-	Partly		182	
15.	Dangar	256	-	Partly		1290	
16.	Pangela	258	-	Partly		17	
17.	Dadhol Kalan	265	-	Partly		956	
18.	Dadhol Khurd	266	-	Partly		454	
19.	Padyalg	267	-	Partly		631	
20.	Bari Khurd	268	-	Partly		92	
21.	Bari Kalan	269	-	Partly		277	
22.	Chhajoli	271	-	Partly		429	
23.	Lehri Sarail	272	-	Partly		2639	
24.	Haritilainger	273	-	Partly		947	
25.	Taraun	274	-	Partly		1329	
26.	Bhadrog	383	-	Partly		878	
27.	Naswal	384	-	Partly		802	
28.	Seu	385	-	Partly		698	
29.	Jahri	391	-	Partly		145	
30.	Cheri	393	-	Partly		182	
31.	Kalri	394	-	Partly		220	
32.	Godhan	404	-	Partly		14	
33.	Bari- Majherwan	405	-	Partly		1365	
34.	Karngora	406	-	Partly		335	
35.	Kothi	424	-	Partly		1560	
36.	Balaur	439	-	Partly		206	
37.	Balhu- Kharyala	449	-	Partly		727	
38.	Kulahru	450	-	Partly		317	
39.	Awdhani	451	-	Partly		262	
40.	Kyari	452	-	Partly		230	
41.	Majhasu	461	-	Partly		210	
42.	Majhaon	462	-	Partly		196	
43.	Baagtheru	463	-	Partly		286	
44.	Bakroa	464	-	Partly		447	
45.	Bhager	465	-	Partly		294	

46.	Khurari	466	-	Partly		159	Baagtheru, Bhager and Khurari.
47.	Awarikhalin	468	-	Partly		300	
48.	Peherwin	469	-	Partly		453	
49.	Ghumani	470	-	Partly		334	
	Total:- 49Mohals	-	5	44	1612.17	27797	

SPECIFICATIONS

North: Bounded by Mohal Taraun / Hadbast No. 274 / Tehsil Ghumarwin/ District Boundary up to 150m on both sides from acquired width of N. H -103.

East: Starting from end of northern boundary towards east side of Mohal Taraun / Hadbast No. 274 and following 150 m line along N.H-103 up to outer boundary of Mohal Ratehal/ Hadbast No. 408 and further following outer limit of Municipal Council, Ghumarwin up to Mohal Loharwin / Hadbast No. 440 and then following 150 m line on both sides along Ghumarwin- Sarkaghat State Highway No.19 including Municipal Council, Ghumarwin limit up to outer boundary of Mohal Kothi / Hadbast No. 424, then following the outer limit of Municipal Council, Ghumarwin up to outer boundary of Mohal Panol/ Hadbast No. 456 and then following 150 m line along the N.H-103 up to the junction of N.H-103 & four lane and then following 150 m line on both side along four lane up to outer boundary of Mohal Khurari/ Hadbast No. 466, then again following 150m line along N.H-103 from Mohal Baagtheru / Hadbast No. 463 upto Mohal Ghumani / Hadbast No 470/ Tehsil Ghumarwin of Distt. Bilaspur, H.P.

South: Starting from the end of eastern boundary towards west side of Mohal Ghumani/ Hadbast No. 470 /Kandrou bridge and then following 150 m line along N.H. 103, Four lane & Bhager –Auhar Road up to outer western boundary of Mohal Bakroa/ Hadbst No. 464 of Tehsil Ghumarwin of Distt. Bilaspur.

West: Starting from the end of southern boundary towards west side of Mohal Bakroa/ Hadbst No. 464 and following 150 m line along Bhager-Auhar Road on both side to the junction of N.H -103 in Mohal Bhager/465 and then following 150 m line along N.H- 103 up to outer boundary of Mohal Awdhani /Hadbast No. 451 and then following the Municipal Council, Ghumarwin limit up to Mohal Baddu / Hadbast No. 407 and further following 150 m line on both side along Ghumarwin –Barthi road up to Mohal Baddu/ Hadbast No. 407 and then following M. C limit of Mohal Ratehal / Hadbast No. 408 and following outer boundary of Mohal Sashan/ Hadbast No. 409, Municipal Council, Ghumarwin limit in Mohal Patta/ Hadbast No. 410 and then following 150 m line along N.H. 103 up to outer nothern boundary of Mohal Taraun/ Hadbast No.274 / Tehsil Ghumarwin of Distt. Bilaspur.

By order,
MANISHA NANDA,
Addl. Chief Secretary (TCP).

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCPF(5)-7/2005 DATED 14.6.2016 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2016

No. TCP-F(5)-7/2005.--In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 14th day of June month, of the year 2016 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh as per specifications below:—

SPECIFICATIONS

Sr. No.	Revenue Mohal	Hadbast No.	Area included		Area included (in hectare)	Population (2011) of complete Mohal	Area included in Ghumarwin Planning Area
			Complete	Partly			
1.	Cheri	393	-	Partly	0.26	182	Up to 150 m belt on both side from acquired width line of N.H.-103.
2.	Jahri	391	-	Partly	0.51	145	
3.	Lehri Sarail	272	-	Partly	3.87	2639	
	Total	3	-	3	4.64	2966	

By order,
MANISHA NANDA,
Addl. Chief Secretary (TCP).

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP-F(5)-7/2005 DATED 14.6.2016 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2016

No. TCP-F(5)-7/2005.—WHEREAS **Ghumarwin Planning Area** has been constituted under subsection (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Govt. Notification No. TCP-F(5)-7/2005 dated. Shimla- 4-3-2014 & existing landuse map of the said Planning Area has been frozen under sub section (1) of section 15-A of the Act ibid vide Govt. Notification No. TCP-F(5)-7/2005 dated. Shimla- 4-3-2014;

NOW **Ghumarwin Planning Area** has been re-constituted under clause (a) of sub-section (2) of Section 13 by excluding sixteen Complete and forty one Partly revenue mohals and including 3 revenue mohals *i.e* Cheri/393, Jahri/391, and Lehri Sarail/ 272 and by altering the notified Planning Area boundary under the provisions of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide Govt. Notification No.TCP- F(5)-7/2005 dated 14.6.2016;

WHEREAS the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15-A of the Act *ibid*, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use of reconstituted Ghumarwin Planning Area *i.e* inclusion of new three revenue Mohals *i.e*. Mohal Cheri/393, Mohal Jahri/391, and Mohal Lehri Sarail/272 for a period of one year from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

By order,
MANISHA NANDA,
Addl. Chief Secretary (TCP).

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जून, 2016

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013-1 (मण्डी).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी के विद्यमान उपमण्डल (नागरिक) मण्डी (ग्रामीण) और उपमण्डल (नागरिक) मण्डी (शहरी) का, उप मण्डल (नागरिक) मण्डी (ग्रामीण) से तहसील कोटली और तहसील औट को अपवर्जित करके और इसे मण्डी जिला के उप मण्डल (नागरिक) मण्डी (शहरी) में सम्मिलित करके, पुनर्गठन करना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, तुरन्त प्रभाव से यह आदेश देते हैं कि उपरोक्त पुनर्गठन के पश्चात् उपमण्डल (नागरिक) मण्डी (ग्रामीण) में केवल तहसील बल्ह ही समाविष्ट होगी जिसका नया नाम उपमण्डल (नागरिक) बल्ह होगा और जिसका मुख्यालय नैरचौक में होगा। इसके अतिरिक्त उपमण्डल (नागरिक) मण्डी (शहरी) में तहसील सदर, तहसील कोटली व तहसील औट समाविष्ट होगी और यह उप मण्डल (नागरिक) सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के रूप में पुनः नामित होगा ।

आदेश द्वारा,
वी0सी0 फारका,
मुख्य सचिव ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification No. GAD-B(A)1-11/2013-1(Mandi) Dated 25-6-2016 as required under Clause (3)of Article 348 of the Constitution of India.*]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

GAD-B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th June, 2016

GAD-B(A)1-11/2013-1 (Mandi).— Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to reorganize the existing Sub-Division (Civil) Mandi (Rural) and Sub-Division (Civil) Mandi (Urban) in District Mandi by excluding Tehsil Kotli and Tehsil Aut from Sub-Division (Civil) Mandi (Rural) and to include it in Sub-Division (Civil) Mandi (Urban), District Mandi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to order, with immediate effect, that after above reorganization, Sub-Division (Civil) Mandi (Rural) will comprise of Tehsil Balh only and it shall be re-named as Sub-Division (Civil) Balh with its Head quarter at Ner Chowk. Further Sub-Division (Civil) Mandi (Urban) will comprise of Tehsil Sadar, Tehsil Kotli and Tehsil Aut and it shall be re-named as Sub-Division (Civil) Sadar Mandi District Mandi, Himachal Pradesh.

By order,
V.C. PHARKA,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून, 2016

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013-11 (मण्डी).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि जिला मण्डी में, उपमण्डल (नागरिक) चच्योट से सम्पूर्ण तहसील थुनाग जिसमें चौदह पटवार वृत्त है, उप-तहसील छतरी के चार पटवार वृत्त और तहसील बालीचौकी के एक पटवार वृत्त को अपवर्जित करके 'जंजैहली' के नाम से ज्ञात एक नया उप मण्डल (नागरिक) सृजित किया जाए ।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपमण्डल (नागरिक) चच्योट से तहसील थुनाग के

चौदह पटवार वृत्तों के सम्पूर्ण क्षेत्र, उप-तहसील छतरी के चार पटवार वृत्तों और तहसील बालीचौकी के एक पटवार वृत्त को अपवर्जित करते हैं और जिला मण्डी में एक नया उपमण्डल (नागरिक), जंजैहली, जिसका मुख्यालय जंजैहली, में होगा, तुरन्त प्रभाव से सृजित करते हैं, जिनमें निम्नलिखित पटवार वृत्त समाविष्ट होंगे:—

उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त	तहसील / उप तहसील का नाम
जंजैहली	मण्डी	जंजैहली	<ol style="list-style-type: none"> 1. काण्ढा-बगस्याड 2. शिकावरी 3. थुनाग 4. रोपा 5. लम्बाथाच 6. चियुणी 7. शिल्हीबागी 8. कलीपर 9. शिवाखड्ड 10. शावा 11. जरोल 12. जंजैहली 13. शिल्हीगाड 14. तुंगाधार 15. उत्तरी मगरू 16. दक्षिण मगरू 17. मानगढ़ 18. बगडाथाच 19. गाड़ा गुसैण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. थुनाग 2. छतरी 3. बालीचौकी

आदेश द्वारा,
वी०सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification No. GADB(A)1-11/2013-II (Mandi) Dated 27-6-2016 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
GAD-B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th June, 2016

GAD-B(A)1-11/2013-II (Mandi).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that in District Mandi a new Sub-Division (Civil) to be known as “Janjehli” may be created by excluding the entire Tehsil Thunag, having 14 Patwar Circles, 4 Patwar Circles of Sub-Tehsil Chhatri and one Patwar Circle of Tehsil Balichowki, from Sub-Division (C) Chachiot.

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Nitish Gill and Monika Narwal have filed an application U/S 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-7-2016. The objection received after 16-07-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-06-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur.*

**The Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Jasvinder Kaur wife of Shri Jagjeet Singh, resident of House No. 12, Anupam Apartments Landour Bazar, Mussoorie, District Dehradun (UK) Pin Code No. 248179
.. *Applicant.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Jasvinder Kaur wife of Shri Jagjeet Singh, resident of House No. 12, Anupam Apartments Landour Bazar, Mussoorie, District Dehradun (UK) Pin Code No. 248179 has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of birth of her son namely Gursharan Singh (DOB 21-07-1987) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 25-8-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 25th day of June, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).*

**The Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Deepak Kumar s/o Shri Prabhu Dayal, r/o Soami House, North Oak, near D.A.V. School Sanjauli Shimla, Tehsil and District Shimla . . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Deepak Kumar s/o Shri Prabhu Dayal, r/o Soami House, North Oak, near D.A.V. School Sanjauli Shimla, Tehsil and District Shimla has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of birth of his daughter namely Rijuta Ridhi Kaprate (DOB 19-09-2003) in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 24-7-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 24th day of June, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनसा राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 82/16

उनवान मुकदमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनसा राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र हिमांशु व प्रियांशु (जुड़वां) जिनकी जन्म तिथि 11-03-2014 है, का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपने ऊपर वर्णित पुत्रों की जन्म तिथि 11-03-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हिमांशु व प्रियांशु की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर

सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हिमांशु व प्रियांशु की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनसा राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 81/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कमलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनसा राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 03-09-1979 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी जन्म तिथि 03-09-1979 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कमलेन्द्र सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कमलेन्द्र सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती धर्मी देवी पुत्री श्री जमना दास, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादि्या।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 80/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती धर्मी देवी पुत्री श्री जमना दास, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 10-10-55 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपनी जन्म तिथि 10-10-55 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को धर्मी देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती धर्मी देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश्वर शर्मा पुत्र श्री तिलक राज, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 37 / 16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश्वर शर्मा पुत्र श्री तिलक राज, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र संजीव शर्मा की जन्म तिथि 11-08-87 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अजौली में अपने पुत्र की जन्म तिथि 11-08-87 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री संजीव शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अजौली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 08-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त संजीव शर्मा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 78/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री जसप्रीत कौर की जन्म तिथि 01-02-99 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बहराल में अपनी पुत्री की जन्म तिथि 01-02-99 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 जसप्रीत कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बहराल, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 जसप्रीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलजीत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी वार्ड नं0 4 बदरीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या : 79/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कुलजीत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी वार्ड नं० 4 बदरीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र श्री रणदीप सिंह की जन्म तिथि 04-04-98 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटावाली में अपने पुत्र की जन्म तिथि 04-04-98 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री रणदीप सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-07-16 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री रणदीप सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-06-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

**In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :—

Shri Rahul Dhiman s/o Shri Phool Chand Dhiman, r/o Village Mugalanwala Kartarpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur HP and Smt. Vijeyata Devi Bedaysee d/o Shri Rajendra Kumar, r/o 8th mile Royal Road Triolet Mauaritus at present Village Mugalanwala Kartarpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Rahul Dhiman s/o Shri Phool Chand Dhiman, r/o Village Mugalanwala Kartarpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur HP and Smt. Vijeyata Devi Bedaysee d/o Shri Rajendra Kumar, r/o 8th mile Royal Road Triolet Mauaritus at present Village Mugalanwala Kartarpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP has presented application on dated 13-06-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 06-05-2013 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 06-05-2013 between Shri Rahul Dhiman s/o Shri Phool Chand Dhiman, r/o Village Mugalanwala Kartarpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur HP and Smt. Vijeyata Devi Bedaysee d/o Shri Rajendra Kumar, r/o 8th mile Royal Road Triolet Mauaritus at present Village Mugalanwala Kartarpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 13-06-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur.

ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि0प्र0से0 अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी
(ना0) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री जाकिर अली पुत्र श्री शमशेर अली, निवासी ग्राम मेलियों, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब
2. आम जनता।

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्री जाकिर अली पुत्र श्री शमशेर अली, निवासी ग्राम मेलियों, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह सीमा पुत्री श्री किशन चन्द उर्फ सुलेमान, निवासी कांशीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के साथ दिनांक 19-10-2014 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री जाकिर अली पुत्र श्री शमशेर अली, निवासी ग्राम मेलियों, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विवाह के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 12-07-2016 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0),
अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :—

Shri Sunny Sharma s/o Shri Suresh Kumar Sharma, r/o House No. 203/1, Ward No. 11
Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Smt. Priyanka Sharma d/o Shri Rajendra Sharma, r/o
Ward No. 5, Paonta Sahib, District Sirmaur, HP.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Sunny Sharma s/o Shri Suresh Kumar Sharma, r/o House No. 203/1, Ward No. 11 Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Smt. Priyanka Sharma d/o Shri Rajendra Sharma, r/o Ward No. 5, Paonta Sahib, District Sirmaur, HP has presented application on dated 14-06-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 26-01-2014 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 26-01-2014 between Shri Sunny Sharma s/o Shri Suresh Kumar Sharma, r/o House No. 203/1 Ward No. 11 Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Smt. Priyanka Sharma d/o Shri Rajendra Sharma, r/o Ward No. 5, Paonta Sahib, District Sirmaur, HP he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 14-06-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur.

ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि०प्र०से० अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी
(ना०) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि० प्र०

श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री चौटू राम, निवासी ग्राम कुलाह, डा० जरवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत बोकाला पाब, तहसील पांवटा साहिब
2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री चौटू राम, निवासी ग्राम कुलाह, डा० जरवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ-पत्र इस प्रार्थना अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह बिजा राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी ग्राम डाबरा, डा० शिल्ला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के साथ दिनांक 13-04-2011 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बोकाला पाब, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सकी है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहती है।

अतः इस सम्बन्ध में श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री चौटू राम, निवासी ग्राम कुलाह, डा० जरवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विवाह के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 12-07-2016 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूत्र में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0),
अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

Before the Court of Marriage Officer (S.D.M.) Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas Shri Pushpinder Singh s/o Shri Inderjit Singh, r/o H.No. 14, Ward No. 3, Badrinagar, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Komal d/o Shri Bhajnik Singh, r/o c/o Manohar Cycle Works Bhojpur Bazar, Sunder Nagar District Mandi, H.P. at present residing at H.No. 14, Ward No. 3, Badrinagar, Paonta Sahib, District Sirmaur have filed an application for registration of their marriage which was solemnized on 27-04-2015. I solemnized my marriage at Gurudwara Sri Paonta Sahib and they have been living husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage they should file their written objections and should appear personally or through their authorised agents before this court within a period of 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer (SDM),
Paonta Sahib.

